आरक्षण बनाम कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 सुमन

एसोसिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मेरठ, उ0 प्र0,(भारत)

सारांश

सामाजिक न्याय के लिए चुना गया आरक्षण का संवैधानिक अधिकार के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने जिस समतावादी वैचारिकी के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय और देश के लिए कुशल और विकसित मानव संसाधन के रूप में समाज के लिए समर्पित करने के पेशेवर और भावी सोच के साथ लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संविधान निर्माण सभा के उद्देश्यों पर नाममात्र ही सफल हो पाया है। कारण राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी, वोट की जातिगत राजनीति और सामाजिक जातिगत वैमनस्यता आदि से आरक्षण बनाम कुशलता में सामाजिक मतभेद जारी रहने की सम्भावना प्रबल है।

मुख्य शब्द–अर्जित योग्यता,पैतृक परिसम्पदा

सरकार किसी भी राजनैतिक पार्टी की बने; चुनाव से पहले सामाजिक विकास, दलित विकास, गरीबी दूर करने की जोरदार बहस कर राजनैतिक पार्टियां आपाधापी में सरकारें बनाकर जनता से किए गए वादे को भुलाना अब सामान्य प्रवृति बन गई है। गांधी जी का विचार था कि मेरी समझ में कोई मनुष्य न तो जन्म से और न कर्म से ही बड़ा हो जाता है। मेरा विश्वास है कि जन्म के समय सभी मनुष्य बराबर होते हैं। गांधी जी राय में दूसरे किसी मनुष्य से श्रेष्ठ होने का दावा करना मनुष्यता को लांछन लगाना है जो अपनी उच्चता का दावा करता है वह उसी क्षण मनुष्य होने का अधिकार खो देता है।

गाँधी जी के इस वैचारिक भावना को प्रबलता, देने के लिएं मैं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य देना चाहूँगा कि मानव संरचना को समझने के लिए गुण–सूत्र तथा डी0 एन0 ए0 टेस्ट (जिनोम) द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी ने भी यह दावा किया है कि सभी मनुष्य 99.99 प्रतिशत तक लगभग समान होते हैं और उनमें मात्र 0.01 प्रतिशत का अंतर पाया जाता है। मानव संरचना में मात्र 0.01 प्रतिशत के अन्तर से कतिपय लोगों द्वारा

समाज में 99.99 प्रतिशत से भी अधिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक सांस्कृतिक एवंधार्मिक विलम्बना पैदा कर दी जाती है और समाज में समरसता एवं संवेदना दोनों के सामाजिक ताना बाना में बाधा पहुँचाता रहा। परिणामतः जातीय भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव एवं सामाजिक भोज और सहवास में भेदभाव उत्पन्न हुआ।

दलितों एवं आदिवासियों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के लिए संविधान में राजनैतिक नेतृत्व, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय दिलाने हेतु संसद तथा विधान सभाओं एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था दी गई, जिसकी वकालत डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने की थी। इस आरक्षण के प्रश्न पर संविधान सभा की प्रारूप समिति में पर्याप्त विवाद हुआ था। अम्बेडकर जी ने भी स्वीकार किया कि आरक्षण गलत चीज है। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जार दिया था कि भारतीय सामाजिक प्रस्थितियों में सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय, शिक्षा में विकास को प्राप्त करने के लिएऔर छुआछूत मिटाने के लिए यह आवश्यक भी है। उनका मानना था कि हिन्दुस्तान की गरीबी जाति आधारित है। अतः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा देना आवश्यक है। कुछ लोगों का विचार था कि आरक्षण से लोकतंत्र अमर्यादित होगा और समानता के सिद्धान्त का माखौल उड़ेगा। अतः सविधान में विकल्प स्वरूप कुछ ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए कि दलितों एवं आदिवासियों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को प्रगति के लिए सुअवसर उपलब्ध हो सके और आर्थिक सम्पन्नता के आधार से अपनी सामाजिक असमानता को दूर कर सकने में खुद को सक्षम बना सकें।

आरक्षण को लेकर समाज के उच्च जाति वर्ग (सामान्य जाति वर्ग) में हमेशा से भ्रम रहा है, जिससे वेसंविधान में आरक्षण प्राविधान का विरोध करते रहें हैं और इन लोगों ने आरक्षण प्राविधान को समाप्त कर देने की वकालत भी कर दी। जोकि भारत राष्ट्र के साम्यवादी व्यवस्था से भिन्न है। क्योंकि आरक्षण प्राविधान के माध्यम से संविधान में यह व्यवस्था तो नहीं की गई है कि किसी व्यक्ति के अवसर की उपलब्धता, हक एवं पद को छीनकर किसी अन्य व्यक्तियों को सौंप दिए जाएं। यह व्यवस्था तो इसलिए बनाई गई कि जो वर्ग अवसर की उपलब्धता, हक, पद तथा नेतृत्व आदि से वर्षों से वंचित रहा है;वही सब उन्हें दिलाने के प्रयास की सार्थकता है।

आरक्षण को विवादित बनाने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों की दलीलें प्रायः ये रहती हैं जो सर्वविदित हैं :–

1. आरक्षित वर्ग के लोगों कोप्रतियोगी परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने पर भी सरकारी नौकरी मिल जाती है, परन्तु अनारक्षित वर्ग के लोगों से उच्च अंक प्राप्त करने वाले को सरकारी नौकरी नही मिल पाती है।

2. ये कम पढ़े–लिखे तथा निर्योग्य होते हैं।
3. ये पढ़ने–लिखने में कमजोर होते हैं।
4. इनमें राजनैतिक नेतृत्व की क्षमता तथा प्रशासनिक कुशलता नहीं होती है।
5. ये निम्न जाति के हैं इन्हे तो निम्न स्तर की नौकरियाँ ही देनी चाहिए।
6. अब तो इन्हें साठ वर्षों से आरक्षण मिल रहा है। इसलिए समाप्त कर देनी चाहिए।
7. इनका शैक्षणिक ट्रैक–रिकार्ड उच्च कोटी का नही होता है, आदि बातों को लेकर विरोध तो करते ही हैं साथ ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतियोगी अभ्यर्थियों पर फब्तियाँ भी कसते रहते हैं।

परन्तु इन्हें इस कुशलता एवं क्षमता को कैसे अर्जित किया जाता है, वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। कुशलता एवं क्षमता दोनों जन्मजात योग्यता न होकर यह एक ऐसी अर्जित योग्यता है जो रहन–सहन के वातावरणीय प्रभाव, खान–पान के कारण विकसित बौद्धिकता, उच्च एवं पेशेवर शैक्षिक योग्यता, तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं और वाद–विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनने, वर्तमान और प्रभावी सूचनाओं के प्रति सचेतता और उसका लाभ उठाने के लिए पूंजी की उपलब्धता और अन्तर्मन मेंआजाद अभिव्यक्ति को परिवार पड़ोस और मित्र समूहो से विकसित होता है। जिसके माध्यम से व्यक्ति के आत्मविश्वास और मनोबल दोनों का विकास होता है और वह अपने क्षमता एंव कुशलता काउच्चतम् स्तर काप्रदर्शन करता है।

यद्यपि कि जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई उन्हें नौकरी प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई परन्तु नौकरी किस प्रकार से प्राप्त होगी उस व्यवस्था को खोखला तथा अपंग बना दिया गया। ऐसा तथ्यात्मक कारण निम्न हैं :–

1. देश में शिक्षा का विभिन्न भाषा और आय स्तरीय प्रणाली जैसे निम्न आय एवं अल्प आय वर्ग के लिए हिन्दी माध्यम के राज्य बोर्ड, मध्यम एवं उच्च मध्यम आय वर्ग के लिए केन्द्रीय बोर्ड तथा उच्चएवं उच्चतम् आय वर्ग के लिए आई0सी0एस0 सी0 बोर्ड। ऐसा क्यों?सर्वप्रथम शिक्षा में विभेद।
2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों कीआय में विषमता जैसे स्थाई सम्पतियों (जैसे खेती–बाड़ी के लिए जमीन, रहने लिए मकान आदि) में विभेद व्याप्त है। अर्थात् देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को छोड़कर (एकाध अपवाद को छोड़कर) अन्य सामान्य वर्ग के पास दो चार एकड़ से लेकर के सैकड़ों एकड़ या सैकड़ों बीघा खेती है ऐसा क्यों?
3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा प्राप्त करने के संसाधनों पर लालफीताशाही जैसे छात्रवृत्तिआवंटन की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तकों के आवंटन में देरी तथा शिथिलता,

छात्रावास आवंटन में प्रक्रिया, पुस्तकालय प्रयोग में विभेद आदि सामान्यतः देखने को मिलता रहता है। ऐसा क्यों?

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उच्च शिक्षा में भेदभाव जैसे पी.एच.डी. में रजिट्रेशन एवं उपाधि एवार्ड में भेदभाव, तकनिकी शिक्षा एवं शोध में भेदभाव, प्रबन्धकीय शिक्षा एवं शोध में भेदभाव। ऐसा क्यों?

5. शैक्षणिक पद्धति एवं प्रक्रिया में परिवारवाद जैसे शिक्षकों की नियुक्तियों विशेषकर विश्वविद्यालयों में, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में,प्राचार्यो की नियुक्तियों में, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, सचिवालयों में सचिवों की नियुक्ति आदि। ऐसा क्यों?

6. परीक्षा पुस्तकों तथा मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अंको में छद्मावरण, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं माध्यमिक शिक्षा परीषद की उत्तर पुस्तिका का परीक्षण मेरठ में कर रहा था, उत्तर पुस्तिका इलाहाबाद जनपद केएक विद्यालय की उत्तर पुस्तिका का अनुक्रमांक देते हुए अंक बढ़ाने के लिए सिफारिश करते हुए तो एक शिक्षक ने कहा कि यह अपना ही बालक है। यहाँ यह विवरण इसलिए दे रहा हुं कि जो लोग अंको को योग्यता का सभी पैमाना मानते हैं वे अपने बच्चों के दसवीं कक्षा से ही अंक बढ़ाने के लिए हाथ पैर मारते हैं तो यह तथ्य प्रकट करता है कि नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए ना जाने क्याा–कया करते होंगे?

मेरा प्रश्न उन बुद्धिजिवियों से है जो लोग कुशलता एवं क्षमता को आधार बनाकर आरक्षण नीति का विरोध करते हैं क्या वे अनुसूचित जाति वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं परिवेशों में रहकर वे अपने आपको सिद्ध कर सकेंगे?

जिस शिक्षा के माध्यम से कुशलता एवं क्षमता का विकास होना संभव होता है, उसे आय आधारित और भाषा आधारित विभेद करपंगु बना दिया जाए तो कुशलता एवं क्षमता पर प्रश्न उठाने का तर्क ही व्यर्थ है।

आय अर्जन हेतु परिसंपदाओं की मौजूदगी, मेहनत–मजदूरी करने निर्धारित श्रेणी के कार्य करने कारण निम्न आय में जीवन व्यतीत करना, शिक्षा की कमी, गरीबी के कारण अंध विश्वास की ऊँची दर और वैज्ञानिक सोच की कमी,अभिभावकों का अपने बच्चों के भविश्य के प्रति लापरवाही की प्रवृत्ति, बेरोजगारी की ऊँची दर मंहगाई पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होना यह सब बातें एक साथ मिलकर अनुसूचित जाति के लोगों बीच गरीबी के मकड़जाल को मजबूती प्रदान करती है। सन् 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के 35.43 प्रतिशत गरीब थे। जबकि देश की अन्य सभी जातियों में मात्र 20 प्रतिशत व्यक्ति ही ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन हैं। इस तरह अन्य सभी जातियों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के

लोग अकेले ही 15.43 प्रतिशत गरीब है। शहरी क्षेत्र में अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति के व्यक्ति कहीं ज्यादा संख्या में गरीब थे। शहरी क्षेत्रों में कुल 39 प्रतिशत व्यक्ति गरीब थे। जबकि अन्य सभी जातियों में 39 प्रशित में से 21 प्रतिशत गरीब पाए गए। इस तरह अन्य जातियों की तुलना में शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बीच 18 प्रतिशत गरीब थे जो एक चिंताजनक सामाजिक ढ़ाँचा प्रस्तुत करती है। निर्धनता का स्तर मजदूरी करके कमाने वाले परिवारों में विशेष रूप से ऊँचा था। ग्रामीण क्षेत्र में कृषिगत मजदूरों (अनुसूचित जाति)के 46 प्रतिशत परिवार निर्धन थे तथा शहरी क्षेत्र में रोजदारी के हिसाब से काम करने वाले आधे से अधिक मजदूर (अनुसूचित जाति) गरीब थे। अनुसूचित जाति के बीच कुपोषण और अल्पपोषण की परिघटना भी अपेक्षाकृत ज्यादा है। लगभग 33 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं। जबकि अन्य जातियों की मात्र 15 प्रतिशत महिलाएं इस रोग की शिकार हैं। यह आँकड़ा सन् 2008–09 का है। महिलाओं और बच्चों के बीच रक्ताल्पता की बहुतायत होने के कारण अनुसूचित जाति के बच्चाकी मृत्यु–दर भी ज्यादा है। मृत्यु–दर स्वास्थ्य की स्थिति बताने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। सन् 2009 में शिशु मृत्यु–दर, बाल मृत्यु–दर तथा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु–दर अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच क्रमशः 83, 40 तथा 119 प्रतिशत थी जबकि अन्य जाति के बच्चों के बीच क्रमशः 61, 22 तथा 82 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच मृत्यु–दर मृत्यु–दर कितनी ज्यादा है।

जीवन स्तर के समग्र सूचकांक औसत आयु को माना जाता है। सन् 1999 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत आयु 65 वर्ष थी जबकि अनुसूचित जाति के लिए यह दर 62 वर्ष तथा गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 66 वर्ष इसप्रकार अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष तथा राष्ट्रीय स्तर पर औसत आयु की तुलना में 4 वर्ष कम थी।

इस अवलोकन से अपवर्जन तथा भेदभाव के संभावित परिणामों के बारे में जानकारी मिलती है। ये परिणाम कई रूपों में व्यक्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख हैं नीची जाति के अछूतों के हाथ में पूंजी सम्पदा (भूमि तथा गैर–भूमिगत) का न होना अथवा अन्य जातियों के तुलना में असमान रूप में उपलब्ध होना, रोजगार की अनुपलब्धि, मानव संसाधन का कमतर विकास तथा गरीबी और वंचना का सामान्य से अधिक परिणाम में होना है। पूंजीगत संपदा तथा मानव–संसाधन के मामलों में अछूतों के साथ अन्य जातियों की तुलना में किया गया असमानता का बर्ताव यद्यपि कुछेक अप्रत्यक्ष प्रमाण जुटाता है और पहले हुए भेदभाव के बारे में बताता है।

मैं अपनी शोध–पत्रसे आरक्षण का संविधान में व्यवस्था तथा उसकी लाभप्रदता, आरक्षण को लागू करने वाली अभिकरणों की शिथिलता तथा लापरवाही अनुसूचित जाति के लोगों की कुशलता एवं क्षमता को

विकसित करने वाली संस्था, अभिकरण और अभिकर्ता द्वारा अवसर की उपलब्धता को इन लागों के लिए किस प्रकार बाधक बनाया जाता है।इस बिन्दु पर गहन विवेचना करने का आधार बनाया है।

संदर्भ

1 एक्शन एड, 2004: अनटचेबलिटी इन रूरल इंडिया, एक्शन एड, दिल्ली।

2 थोराट, एस0 के0, 1996: अंबेडकर ऑन इकानॉमिक्स ऑव हिन्दू सोशल–आर्डरए वाल्टर फर्नांडीज द्वारा संपादित, द इमर्जिंग दलित आइडेंटिटि, में आई0 एस0 आई0 दिल्ली से प्रकाशित।

3 भारत 2009, मनोरमा ईयर बुक।